न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), बीकानेर

पीठासीन अधिकारीः— श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस

एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र नम्बर मुकदमा 25/2015

अनवान :—
श्री मुरारीलाल शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी— कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर जोन, बीकानेर

प्रार्थी

—: बनाम :—

1. श्री अश्विनी खत्री पुत्र श्री प्रेमचन्द खत्री, प्रो. मै. डूडेजा मार्ट, 4—डी—4, जेएनवी कॉलोनी, बीकानेर— निवासी 4 ई—441, जेएनवी कॉलोनी, बीकानेर
2. श्री मनोज नागपाल ए—9, पवनपुरी, बीकानेर। प्रो. मैसर्स आर.एम., एजेन्सी, डी. आर.एम ऑफिस के पास, बीकानेर, (डिस्ट्रीब्यूटर घी अमूल)
3. श्री पंकज नागपाल प्रो. मैसर्स आर.एम., एजेन्सी, डी.आर.एम ऑफिस के पास, बीकानेर, (डिस्ट्रीब्यूटर घी अमूल)
4. श्री नरेन्द्र सोनगरा, ब्रांच मैनेजर एवं नोमिनी मैसर्स. गुजरात कॉ—ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फैडरेशन लि. ब्रांच ऑसि प्लाट नं. ई—376 बासनी, इण्ड. ऐरिया, फैस—1 जोधपुर
5. श्री विश्वजीत दत्ता, सहायक जनरल मैनेजर(क्यू ए) एवं नोमिनी मै0 बनासकांठा जिला दुग्ध उत्पादक संघ पालनपुर बनास डेयरी पी.बी.—20, पालनपुर—गुजरात
6. मै0 बनासकांठा जिला दुग्ध उत्पादक संघ पालनपुर बनास डेयरी पी.बी.—20, पालनपुर—गुजरात (अमूल घी के निर्माता)

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :—
1. प्रार्थी पक्ष की ओर से — श्री महमूद अली खा.सु.अ.
2. अप्रार्थीगणों की तरफ से — श्री महेन्द्र प्रताप सिंह एडवोकेट

—: निर्णय :— दिनांक 07.02.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हे कि प्रार्थी श्री मुरारीलाल शर्मा, खाध सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 26.09.2014 को अप्रार्थीपक्ष मैसर्स डूडेजा मार्ट 4—डी—4 जे.एन.वी. कॉलोनी बीकानेर — प्रो. श्री अश्विनी खत्री पुत्र श्री प्रेमचन्द खत्री जे.एन.वी. बीकानेर के यहां फर्म का निरीक्षण के दौरान कांउन्टर में 11 डिब्बे 1 लीटर पैंकिग के घी (अमूल एगमार्क) वास्ते बिक्री आम जनता को रखे हुए थे। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त पैक्ड डिब्बों में से 04 डिब्बे घी (अमूल एगमार्क) के वास्ते जांच नमूना हेतु क्रय किये जिसकी कीमत रूपये 1580/— श्री अश्विनी खत्री को नगद देकर माल खरीद रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान व प्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त क्रय किये गये 4 डिब्बे घी (अमूल एगमार्क) पर लेबल फॉर्म तैयार कर उनपर विक्रेता, गवाहान स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक डिब्बे पर लेबल फार्म चिपका कर, प्रत्येक डिब्बे को एक मोटे मजकबूत खाकी कागज में लपेटकर अच्छी तरह गोंद से चिपका कर एवं उन पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन बीकानेर द्वारा हस्ताक्षरित ए.बी.— 416 पेपर स्लिप को नीचे से ऊपर की ओर पूरे रांउड पर गांद से पिचपकाकर प्रत्येक डिब्बे को मजबूत व मोटे डोरे से बांध कर प्रत्येक बिबे को चार—चार जगह दोनों साईडो पर सील चपड़ी कर उन पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं प्रार्थी ने किये तथा मौका फर्द रिपोर्ट

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

तैयार कर उसे विक्रेता व गवाहान को पढ़कर, सुनाकर, समझाकर उनके हस्ताक्षर कराये व स्वयं खा.सु.अ. ने किये। उक्त सील्ड डिब्बों में से एक सीलबन्द डिब्बा मुख्य जन विश्लेषक एवं खादय विश्लेषक, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई ॥ जिनके यहां से दिनांक 13.10. 2014 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें घी (अमूल एगमार्क) मिसब्राण्ड स्तर का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थीगणों द्वारा घी (अमूल एगमार्क) मिसब्राण्ड स्तर का विक्रय कर खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 52 के अनुसार खादय पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ॥

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया ॥ अप्रार्थीगणों की तरफ से श्री महेन्द्र प्रताप सिंह एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब प्रस्तुत किया तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी पक्ष की ओर से श्री महमूद अली खा.सु.अ. का कथन है कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से घी (अमूल एगमार्क) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई ॥ मुख्य जनविश्लेषक, एवं खादय विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of " Ghee(Amul) bearing Code No. and Sr. No. AB-416 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(A)(i)(a)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां घी (अमूल एगमार्क) मिसब्राण्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। प्रार्थी खादय सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. इसके विपरीत अप्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता ने बचाव में निवेदन किया कि अमूल घी गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के द्वारा तैयार किया गया है। जिस पर " 1 spoon ghee a dary for better digestion, For glowing skin, for energy." अंकित है, के संबंध में अप्रार्थी संचख्या 4 की ओर से कथन किया है कि आयुर्वेद तकनीक में घी मानव शरीर के लिए अच्छा बताया गया है। अपने कथन के समर्थन में दैनिक समाचार पत्र दिनांक 24.03.2013 की फोटो स्टेट प्रति एवं रोल ऑफ घी इन आयुर्वेदिक मेडीसिन पर संतोष कुमार भाटेड़ व गुरूदीप सिंह द्वारा लिखित चार पेज प्रस्तुत किये है साथ ही डेयरी टेकनीलोजी वॉल्यूम–II का पेज सं. 60 से 63 की फोटो प्रति पेश की है।

5. हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं है तथा जवाब के समर्थन प्रस्तुत दस्तावेज कानूनी तौर पर प्रमाणिक कथन नहीं है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाये गय घी (अमूल एगमार्क) की सैम्पलिंग रिर्पोट में अप्रार्थी के यहां पाया गया घी (अमूल एगमार्क) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खादय विश्लेषक जयपुर की रिर्पोट क्रमांक L.S1541/Act/2014/861 दिनांक 13.10.2014 की रिर्पोट संलग्न है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खादय विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of " Ghee(Amul) bearing Code No. and Sr. No. AB-

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

416 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(A)(i)(a)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 पाया गया है। जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। चूंकि प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीगण द्वारा मानव उपभोग के लिये खाद्य सामग्री का भण्डारण कर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा था, जो जन विश्लेषक, जयपुर की रिर्पोट से मिसब्राण्ड का होना साबित होता है। लिहाजा अप्रार्थी के यहां घी (अमूल एगमार्क) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध उक्त धाराओं का जो आरोप आरोपित किये गये है वे पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रमाणित है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 प्रथम दृष्ट्या क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले घी (अमूल एगमार्क) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप) खाद्य प्रदार्थ का मानव उपभोग के लिए विक्रय के लिये विनिर्माण, भण्डारन, विक्रय एवं वितरण के समान रूप से दोषी है।

6. अप्रार्थीगण द्वारा घी (अमूल एगमार्क) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) उत्पादन/वितरण/विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2) (ii) का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (ii) के अपराध की श्रेणी में आता है जो शास्ति अधिरोपित का दायी है।

7. अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 क्रेता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले खाद्य पदार्थ में घी (अमूल एगमार्क) मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण, विक्रय एवं वितरण के लिये दोषी होने के परिणामस्परूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के दण्डात्मक प्रावधानों के तहत **45,000/– अखरे रूपये पैंतालीस हजार रूपये** की शास्ति आरोपित की जाती है।

8. उक्त शास्ति अप्रार्थीगण को अनुपातिक दायित्व/कर्त्तव्यों का आंकलन किया जाकर आनुपातिक रूप से निम्नानुसार शास्ति अधिरोपण का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

9. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) का अपराध मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु विनिर्माण करने वाले निर्माता के स्तर पर ही मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) खाद्य पदार्थ का विनिर्माण एवं पैकिंग किया जाता है तथा कॉ–आपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फैडरेशन लि. के माध्यम से विक्रय हेतु वितरण किया जाता है। अतः आनुपातिक रूप से सर्वाधिक दायित्व एवं दोष अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 विनिर्माता/मैसर्स गुजरात कॉ–आपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फैडरेशन लि. का ही परिलक्षित होता है । अतः आरोपित शास्ति राशि में से राशि **30,000/– अखरे तीस हजार रूपये** के लिए अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 को दायी घोषित किया जाता है। अर्थात अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 की शास्ति रूपये 10–10 हजार रूपये यानि प्रत्येक अप्रार्थीगण संख्या 4 ता 6 भरने हेतु दायी होगा।

10. मानव उपभोग के लिये विक्रय हेतु वितरण एवं विक्रय हेतु प्राप्त की जाने वाली सामग्री में वितरकों एवं विक्रेताओं का भी यह दायित्व होता है कि वे किसी भी खाद्य पदार्थ का वितरण एवं विक्रय मानक सामग्री एवं सही ब्राण्ड की सामग्री की जांच पड़ताल उपरान्त ही करें परन्तु विचाराधीन प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 विक्रेता एवं वितरक द्वारा जानबूझकर मानव उपभोग के लिये काम आने वाली खाद्य सामग्री घी (अमूल एगमार्क)मिसब्राण्ड (मिथ्या छाप वाली) का विक्रय/वितरण किया जिसके लिये वे भी समान

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

रूप से धारा 26 (2) (ii) में दोषी है। अतः आनुपातिक रूप से आरोपित शास्ति में से अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 विनिर्माता/मैसर्स गुजरात कॉ–ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फैडरेशन लि. की शास्ति को घटाने के पश्चात शेष आरोपित शास्ति 15,000/– अखरे पन्द्रह हजार रूपये अप्रार्थी संख्या 1 विक्रेता एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 वितरक समान रूप से भरने हेतु दायी होगे। अर्थात अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की शास्ति राशि 5–5 हजार रूपये यानि प्रत्येक अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 भरने हेतु दायी होगा। इस प्रकार आरोपित 45,000/– रूपये की शास्ति में से तीस हजार रूपये अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 प्रत्येक 10–10 हजार (विनिर्माता/मैसर्स गुजरात कॉ–ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फैडरेशन लि.) एवं अप्रार्थी संख्या 1 (विक्रेता) एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 वितरक प्रत्येक 5–5 हजार रूपये की शास्ति अदा करेगें।

11. इसके साथ–साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञाप्ति निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 07.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर, जोन बीकानेर एवं अप्रार्थीपक्ष संख्या 1 ता 6 के प्राविकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा),बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner